झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश सं०–AV 29017/5/2020-DT, दिनांक–21.05.2020 से घरेलु विमानों की सेवा दिनांक–25.05.2020 से प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। साथ ही, यह भी उल्लेखित है कि–Only authorized taxis are allowed for taking the passengers from the airport. इसलिए सभी यात्रियों को इस आदेश का पालन करना होगा। परिवहन विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या–1045, दिनांक–19.05.2020 से राज्य में टैक्सी के परिचालन के विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, एवं निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए epassjharkhand.nic.in से ई–पास निर्गत किया जा रहा है। एयरपोर्ट जाने–आने के लिए इन वाहनों का दिशा–निर्देशों के सहित इस्तेमाल किया जायेगा। दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–

1. टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।
2. टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग Sharing Basis पर मान्य नहीं होगा।
3. Confirmed हवाई टिकट एवं Flight Boarding Pass को अपने घर से एयरपोर्ट आने–जाने के लिए पास माना जायेगा।
4. टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
5. टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
6. 5 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6–7 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।
7. बैठने के समय यात्रियों को Social Distancing का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
8. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
9. यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
10. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
11. टैक्सी की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

24/5/2020

Scanned with CamScanner

12. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
13. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उन्हें On रखें।
14. इन शर्त्तों के साथ राज्य में Cab Aggregators तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते है।
15. जो यात्री एयरपोर्ट जाने–आने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें epassjharkhand.nic.in से ई–पास निर्गत कराना होगा।
16. एयरपोर्ट आने–जाने के क्रम में यात्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वागत करने या विदाई करने हेतु नहीं जायेगा।
17. वाहन के चालक भी वाहन में ही रहेंगे तथा एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जायेंगे। केवल दिव्यांग/असहाय यात्रियों की सहायता के लिए वे जा सकेंगे।
18. यात्रियों द्वारा झारखण्ड सरकार का पत्रांक–5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020 Aa Pra-1120-राँची, दिनांक–24.05.2020 द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर निर्धारित आदेश के अनुसार Home Quarantine एवं Institution Quarantine का पालन करना अनिवार्य होगा। कुछ यात्रियों को ऊपर दिये गये पत्रांक में निर्धारित माप–दण्ड के अनुसार Mandatory Quarantine का छूट दिया जायेगा।

उपर्युक्त के क्रम में हवाई यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को हवाई जहाज के अन्दर एवं हवाई अड्डे में भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश सं०–AV 29017/5/2020-DT, दिनांक–21.05.2020 में उल्लेखित सभी दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

24/5/2020

सचिव,
परिवहन विभाग।

Scanned with CamScanner

GOVERNMENT OF JHARKHAND
Home, Prison & Disaster Management Department
(Disaster Management Division)

ORDER

No-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-..1120../ Ranchi, Dated-..24:5:2020...

Whereas, the Ministry of Home Affairs vide Order No 40-3/2020-DM-I(A) dated 20.05.2020 has deleted 'domestic air travel' from the list of prohibited activities during the lockdown;

Whereas, the Ministry of Civil Aviation, vide Order dated 21.05.2020 has laid down guidelines to be followed by passengers and specific operating guidelines for major stakeholders.;

Whereas, the Ministry of Health & Family Welfare vide Office Memorandum dated 24.05.2020 has issued guidelines for domestic travel and International travel.

Whereas, it was felt that there is a need to take a cautious approach while implementing the directions of MHA issued vide Order No 40-3/2020-DM-I(A) dated 20.05.2020 in view of the prevailing COVID-19 situation and at the same time it was felt necessary to open up economic activities and to ease out hardships being faced by the common man;

Now therefore, in exercise of the power conferred under section 22 (2) (h) of the Disaster Management Act, 2005 the undersigned, hereby issues directions to all the Department of Government of Jharkhand, all the District Administrations and other stakeholders (airlines, Birsa Munda airport authorities) for the strict implementation of guidelines issued by Ministry of Health & Family Welfare vide Office Memorandum dated 24.05.2020, **with respect to air travel, subject to following modifications:-**

1. Every person on return to Jharkhand by air shall have to compulsorily stay in home quarantine for a period of 14 days observing guidelines issued by Department of Health, Family Welfare and Medical Education in this regard.
2. All the airlines operating from Birsa Munda airport, Ranchi shall share the list of passengers (arrivals) with details as required by Secretary, Department of Transport and Civil Aviation, Government of Jharkhand.
3. The passengers shall arrange their own private vehicle or taxi for movement to their destination from Birsa Munda airport, Ranchi.
4. In case the quarantine develops any symptom requiring medical attention, she shall immediately report to nearest Government medical authorities.
5. The following catagories of travellers shall be exempt from mandatory quarantine in the state, upon arrival in Jharkhand.
 (a) Any person travelling to Jharkhand and intending to exit within 72 hrs.
 (b) Any returnee who has already undergone perscribed quarantine.

Sd/-
(Sukhdev Singh)
Chief Secretary

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-...../ Ranchi,Dated-.....

Copy to : All Additional Chief Secretary/Director General of Police/ Principal Secretary/ Secretary for information & necessary action.

Sd/-

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-...../ Ranchi,Dated-.....

Copy to : All Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners/ SSP/ SP for information & necessary action.

Sd/-

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-...../ Ranchi,Dated-.....

Copy to : Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister for information.

Sd/-

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-...../ Ranchi,Dated-.....

Copy to : Director, Birsa Munda Airport Authority, Ranchi for information & necessary action.

Sd/-

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa Pra-1120/ Ranchi,Dated-24.5.2020

Copy to : Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India/ Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India/ Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, New Delhi for information.

24/5/2020

Chief Secretary

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner